

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग—१०

लखनऊ: दिनांक ३० जून, २००८

विषय: वर्ष २००७-०८ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु धनावंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या ७२/राहत लिपिक/२००७-०८ दिनांक ५ जून २००८ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक १७ जून, २००८ में लिए गये निर्णय के क्रम में वर्ष २००७-०८ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु ₹० 10.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु ₹० 4,44,20,000/- (रुपये चार करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार मात्र) तथा बाढ़ अवधि के दौरान जनपद फैजाबाद से मंगायी गयी नाव एवं खाद्यान्नों को बाढ़ राहत केन्द्रो तक पहुंचाने में परिवहन मद में व्यय हुई धनराशि ₹० 5,00,839/- (रुपये पाँच लाख आठ सौ उन्तालीस मात्र) अर्थात् कुल धनराशि ₹० 4,49,20,839/- (रुपये चार करोड़ उन्चास लाख बीस हजार आठ सौ उन्तालीस मात्र) श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००८-०९ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा थाना मरम्मत के कार्य आपदा राहत निधि से अनुमन्य नहीं होने के कारण पूर्व में ही अस्वीकृत कर दिये गये थे, को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

4. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष कार्य बाढ़ अवधि से पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2007 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त ताल्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना / अनुरक्षण / मरम्मत कार्यों की रु 10.00 लाख तक की परियोजनाओं पर ही व्यय की जाय। मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची रु 10 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

6. अधिसंरचना सम्बन्धी कार्यों का प्राक्कलन कार्यदारी संस्था द्वारा विभागीय मानकों / लोक निर्माण विभाग शेड्यूल रेट के अनुसार किया जायेगा जिस पर जिलाधिकारी, जिला आपदा राहत समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। कार्य की सतत निगरानी / गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टार्स्क फोर्स की टीम भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टार्स्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय ^{रु} गने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जौँच आख्या शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना / आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृति रु 10.00 लाख तक की ताल्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना / अनुरक्षण / मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं के स्वीकृत प्रस्तावों पर व्यय किया जाय। जिलाधिकारी विभाग की मांग प्रस्ताव के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायेंगे तथा इस धनराशि का प्रयोग केवल अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदारी तथा को आवृटित नहीं हुई हो।।।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि से कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यदारी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मरम्मतरोल, एम बी तथा अन्य वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग-10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिती भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिती को मण्डलायुक्त,

राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद के वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

9. रु0 10.00 लाख तक की परियोजनाओं को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि जो परियोजनायें मरम्मत सम्बन्धी हैं, उनके कार्यों का सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला आपदा राहत समिति एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्णस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

10. उक्त रिवैलीडेट एवं स्वीकृत धनराशि में से आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग बाढ़ अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के उपरान्त शासन द्वारा आंवटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हों तो उन्हें तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय।

11. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या—जी.आई. 134 / 1-11-2007-46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

12. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाय एवं व्यय धनराशि का मदवार व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या—1693 / 1-11-2005—रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि के व्यय का साप्ताहिक विवरण भी प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जाय।

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध करायो जाय।

14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।


भवदीय,
~~(जी० के० टण्डन)~~
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या -3292-(1) / 1-10-2008-12(73) / 2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग / पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, बस्ती।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
8. वरिष्ठ वित्त एवं *लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग -6/11 / वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. वित्तीय वर्ष-2007-08 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव